

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-05072023-247053
SG-DL-E-05072023-247053

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

| | | |
|----------|---|----------------------------|
| सं. 207] | दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 4, 2023/आषाढ़ 13, 1945 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 123 |
| No. 207] | DELHI, TUESDAY, JULY 4, 2023/ASHADHA 13, 1945 | [N. C. T. D. No. 123 |

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त विभाग (राज्य संसाधन प्रभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 4 जुलाई, 2023

फ़ा. सं. 10/1/2023-24/एस.आर.डी/वित्त/2527-2536.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

- (1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।
 - (2) ये संशोधित शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
2. प्रपत्र पी-6 में संशोधन (संदर्भ : दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 का नियम 33 एवं 78):-

- I. प्रपत्र पी-6 की विशेष शर्त संख्या 1 में, शब्द '1896 किलो लीटर' को '6744 किलो लीटर' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
- II. प्रपत्र पी-6 की विशेष शर्त संख्या 2 में, शब्द '24,000 किलो लीटर' को '64,000 किलो लीटर' शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

रविंदर कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

FINANCE DEPARTMENT (STATE RESOURCES DIVISION)

NOTIFICATION

Delhi, the 4th July, 2023

F. No. 10/1/2023-24/SRD/Fin/2527-2536.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules to further amend the Delhi Excise Rules, 2010 namely:

1. Short Title and Commencement:-

- (1) These rules may be called the Delhi Excise (Amendment) Rules, 2023.
- (2) These amendments shall come into force on the date of publication in the official gazette.

2. Amendment in Form P-6:-

(Ref: Rule 33 & 78 of Delhi Excise Rules, 2010)

- I. In the special condition no. 1 of Form P-6, the words '1896 Kilo Litres' shall be substituted with the words '6744 Kilo Litres'.
- II. In the special condition no. 2 of Form P-6, the words '24,000 Kilo Litres' shall be substituted with the words '64,000 Kilo Litres'.

By Order and in the Name of Lieutenant Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)